

पत्र क्रमांक 61-4547/4479/सू0अ0/2015/133585

दिनांक 07.04.2015  
08

प्रति,

श्री सिद्धिकी इमरान  
जूना बाजार, आजिम कॉलोनी,  
औरंगाबाद-431001  
(महाराष्ट्र)

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी देने बावत्।

संदर्भ:-सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदनकर्ता का पत्र दिनांक 22.01.2015 के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर श्री सिद्धिकी इमरान-औरंगाबाद का पत्र दिनांक 22.01.2015 जो पूर्व क्षेत्रीय समिति, (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मुख्यालय), भुवनेश्वर, उड़ीसा के पत्र क्रमांक ERC/09-RTI/2015/Vol-II/30967 दिनांक 23.03.2015 द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 27.03.2015 में प्राप्त हुआ है।

आवेदनकर्ता द्वारा चाही गयी जानकारी के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी प्रेषित की जा रही है।:-

प्रश्न क्रमांक	उत्तर
1	आवेदनकर्ता द्वारा चाही गयी जानकारी/शिकायत पश्चिम क्षेत्रीय समिति (रा.अ.शि.प.) भोपाल से संबंधित नहीं है।
	आवेदनकर्ता के पत्र में चाही गयी जानकारी/शिकायत के संदर्भ में संबंधित विश्वविद्यालय अथवा परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था या शिक्षा विभाग, राज्य सरकार महाराष्ट्र से संपर्क कर सकते हैं।

यदि उक्त प्रकरण में आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी, (क्षेत्रीय निदेशक) प.क्षे.स. (रा.अ.शि.प.) के समक्ष एक प्रथम अपील दायर कर सकते हैं।

नोट-आवेदक द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 22.01.2015 में चाही गयी जानकारी के प्रतिउत्तर में पूर्व में भी पत्र क्रमांक 61-4479/सू0अ0/2015/133254, 255 दिनांक 24.03.2015 प्रेषित किया जा चुकी है। पत्र की छायाप्रति संलग्न है।



RD \_\_\_\_\_  
US \_\_\_\_\_  
RO \_\_\_\_\_  
SO \_\_\_\_\_  
PO \_\_\_\_\_

भवदीय

(परविंदर सिंह)  
जनसूचना अधिकारी

प्रतिलिपि-

- 1) जनसूचना अधिकारी, पूर्व क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, 15, नीलकंठ नगर, नया पल्ली, भुवनेश्वर-751012 (उड़ीसा)-आपके पत्र क्रमांक ERC/09-RTI/2015/Vol-II/30967 दिनांक 23.03.2015 संदर्भ में।